मूलवाद में प्राथमिक डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर,सिणधरी

पीठासीन अधिकारी —श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

उनवान

वादीनी **बनाम** **प्रतिवादीगण**

मोहनीदेवी पत्नी कुम्पाराम जाति कुम्हार निवासी मोतीसरा हाल पायला खुर्द तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

1. अल्लारख पुत्र नसीर
2. गीगा पुत्र नसीर
3. मुस्तान पुत्र नसीर
4. रमजान पुत्र नसीर
5. हनीफ पुत्र नसीर
6. बगू पत्नि नसीर
7. इलियासखां पुत्र फकीरखां
8. यूसूबखां पुत्र फकीरखां
9. हबासखां पुत्र फकीरखां
10. शहीदाबानों पत्नि फकीरखां
11. मांगा पुत्र सुलेमान जाति मोयला निवासी पायला खुर्द तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
12. तहसीलदार सिणधरी

दावा बाबतः—53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :—74/2023

निर्णय दिनांक :—17.09.2024

वादीनी की ओर से श्री अर्जनराम प्रजापत, प्रतिवादी सं. 12 के पैरोकार सरकार व 11 के वकील की उपस्थिति, तथा शेष की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17.09.2024 को **श्री जगदीशसिंह आशिया** (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर सिणधरी के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और प्राथमिक **डिक्री दी जाती है कि**:— वादीनी का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर खेत खसरा संख्या 273/1 रकबा 3.8832 हैक्टेयर मौजा पायला खुर्द पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी जिला बालोतरा भूमि में वादीनी का 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 11 का 1/6 हिस्सा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस (By mets and bounds) विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार सिणधरी व नोखडा प्रत्येक को 500/—शुल्क पर कमीश्नर मुकर्रर किया जाता है,कमीशनर शुल्क वादीगण मौके पर अदा करेंगे। विभाजन प्रस्ताव दोनो पक्षो को पूर्व में जरिये पत्र या नोटिस के सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible] में दिये गये प्रावधानों के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें। खर्चा [illegible] अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 17.09.2024 को मेरे हस्ता[illegible] दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:09:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ) सिणधरी

क्रमांक/वाद/2024/ 229 दिनांक– 26.09.2024

प्रेषित:– तहसीलदार
सिणधरी

विषय–राजस्व वाद संख्या 74/2023 अनवान मोहनीदेवी बनाम अल्लारख में विभाजन प्रस्ताव भिजवाने बाबत।

विभाजन प्रस्ताव भिजवाने की तारीख– 01.10.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है,कि उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 17.09.2024 के मुताबिक वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करनें से पूर्व विभाजन प्रस्ताव तैयार करनें की एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर सम्बन्धित पक्षकारों को जरियें नोटिस/पत्र सूचना दी जावें। तत्पश्चात दोनो पक्षों की उपस्थिति में आप स्वंय मौके पर जाकर विवादग्रस्त आराजी का विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 में दिंयें गयें प्रावधानों के अनुरूप विभाजन प्रस्ताव आगामी पेशी तारीख से पूर्व तैयार कर प्रेषित करावें।

सलंग्न– प्रारम्भिक डिक्री की प्रतिलिपि

नोट–राजस्व मण्डल राज.अजमेर के पत्र क्रमांक:रा.म./न्याय/स्था/प–51/2008/विविध/10546 दिनांक 05.10.2020 के द्वारा निर्धारित प्रारूप में विभाजन प्रस्ताव भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ) सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:09:29 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी सिणधरी–बालोतरा

पीठासीन अधिकारी– श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 74 / 2023

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
1. मोहनीदेवी पत्नी कुम्पाराम जाति कुम्हार निवासी मोतीसरा हाल पायला खुर्द तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		1. अल्लारख पुत्र नसीर 2. गीगा पुत्र नसीर 3. मुस्तान पुत्र नसीर 4. रमजान पुत्र नसीर 5. हनीफ पुत्र नसीर 6. बगू पत्नि नसीर 7. इलियासखां पुत्र फकीरखा 8. यूसूबखां पुत्र फकीरखां 9. हबासखां पुत्र फकीरखां 10. शहीदाबानों पत्नि फकीरखा 11. मांगा पुत्र सुलेमान जाति मोयला निवासी पायला खुर्द तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 12. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री अर्जुनराम प्रजापत, अधिवक्ता वादीगण की ओर से उपस्थित।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 10 एकतरफा।
3. श्री भंवरलाल सारण प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से उपस्थित।
4. प्रतिवादी सं. 12 के पैरोकार उप.।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:09:29 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिक निर्णय

दिनांक 17.09.2024

1.संक्षेप में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि वादीनी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 के संयुक्त खातेदारी का अविभाजित खेत खसरा संख्या 273 / 1 रकबा 3.8832 हैक्टेयर मौजा पायला खुर्द पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर हाल बालोतरा का आया हुआ है।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

ग्रस्त भूमि में वादीनी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 प्रत्येक का /36–1/36 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 7 से 10 प्रत्येक का 1/24–1/24 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 11 का 1/6 हिस्सा दर्ज है। वादग्रस्त पर वादीनी की रहवासी ढाणियां, टांके, चारबाड़े, तारबंदी इत्यादी बने हुए है। वादग्रस्त भूमि पर वादीनी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 के मध्य किसी प्रकार की माठ नहीं बनी हुई है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य भूमि के सेढो को लेकर झगड़ा रहता है एवं प्रतिवादीगण वादीगण के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे काश्त में लगातार दखलअंदाजी कर रहे है। भूमि सामलाती होने से वादीगण को कई परेशानियों एवं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिये वादीनी अपने हिस्से की भूमि बाई मीटस एण्ड बाउण्ड मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार बंटवाडा करवाना चाहती है अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खेत खसरा संख्या 273/1 रकबा 3.8832 हैक्टेयर मौजा पायला खुर्द पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर हाल बालोतरा की भूमि में वादीनी का 1/2 हिस्सा घोषित कर वादीनी एवं प्रतिवादीगण के मध्य वादग्रस्त खेतों का मौके पर कब्जे काश्त अनुसार बाई मीटस एण्ड बाउण्ड बंटवाड़ा कर राजस्व रिकार्ड में अलग से वादी के नाम इन्द्राज की जावें।

2.वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन तामील शुदा प्राप्त हुए। प्रतिवादी सं. 1 से 10 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवादी अमल में लाई गई। वकील प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से अपने पक्ष में मौखिक कथन अनुसार उसकी खातेदारी जोत का बाइ मिट्स बाउण्ड बंटवाड़ा किये जाने की स्वीकारोक्ति हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जिसे शामिल मिसल किया गया।

3.प्रतिवादी संख्या 1 से 10 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही पारित होने एवं प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से मौखिक सहमति एवं दर्ज हिस्से अनुसार उसका भी बंटवाड़ा किये जाने की इस्तदुआ होने से तनकीयात कायम की आवश्यकता नहीं रही। वादी अधिवक्ता की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस प्रति पेश की गई।

4.वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद के तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिये कि वादीनी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 के संयुक्त खातेदारी [illegible] अविभाजित खेत खसरा संख्या 273/1 रकबा 3.8832 हैक्टेयर मौजा पायला खुर्द पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी ज़िला बाड़मेर हाल बालोतरा का आया हुआ है। वादग्रस्त भूमि में वादीनी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 प्रत्येक का 1/36–1/36 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 7 से 10 प्रत्येक का 1/24–1/24 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 11 का 1/6 हिस्सा दर्ज है। वादग्रस्त पर वादीनी की रहवासी ढाणियां, टांके, चारबाड़े, तारबंदी इत्यादी बने हुए है। वादग्रस्त भूमि पर वादीनी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 के मध्य किसी प्रकार की माठ नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:09:29 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

हुई है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य भूमि के सेढ़ो को लेकर झगड़ा रहता है एवं तिवादीगण वादीगण के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे काश्त में लगातार दखलअंदाजी कर रहे है। भूमि सामलाती होने से वादीगण को कई परेशानियों एवं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमांबदी संवत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है। इस प्रकार वादीनी का 1/2 हिस्सा भूमि हिस्सेनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा प्रस्ताव मंगवानें का हकदार है। वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार प्रतिवादी संख्या 1 से 10 को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। इससे अदालत को यह प्रतीत होता है,कि वादी के वाद को स्वीकार किये जाने की प्रतिवादी संख्या 1 से 10 की ओर से मौन स्वीकृति है,यदि उक्त प्रतिवादी को वादी के वाद के संबध में उजर एतराज होता तो,न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन प्रतिवादी की ओर से ऐसा नहीं किया गया। ऐसी सूरत में वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

5.प्रतिवादी संख्या 11 की तरफ से अपने मौखिक कथनानुसार बहस के तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिये कि खेत खसरा संख्या 273/1 रकबा 3.8832 हैक्टेयर मौजा पायला खुर्द पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर हाल बालोतरा में वादीनी के साथ–साथ प्रतिवादी संख्या 11 का भी 1/6 हिस्सा है। जिसे प्रतिवादी संख्या 11 अपने हिस्से अनुसार वादीनी के वाद के साथ बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड करवाने का अधिकारी है।

6.**हमनें** विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात इत्यादि का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमे पाया कि वादीनी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 के संयुक्त खातेदारी का अविभाजित खेत खसरा संख्या 273/1 रकबा 3.8832 हैक्टेयर मौजा पायला खुर्द पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी जिला बालोतरा का आया हुआ है। वादग्रस्त भूमि में वादीनी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 प्रत्येक का 1/36–1/36 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 7 से 10 प्रत्येक का 1/24–1/24 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 11 का 1/6 हिस्सा दर्ज है। वादग्रस्त पर वादीनी की रहवासी ढाणियां, टांके, चारबाड़े, तारबंदी इत्यादी बने हुए है। इसके अतिरिक्त वकील प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से अपने जवाब मय प्रतिवादी पेश कर अपने तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि वादग्रस्त भूमि में वादीनी के हिस्से के साथ–साथ प्रतिवादी संख्या 11 का भी 1/6 हिस्सा है। तथा पक्षकारान अपने अपने हिस्से अनुसार कब्जा काश्त करते आ रहे है। जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमांबदी संवत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है। इस प्रकार वादीनी एवं प्रतिवादी सं. 11 अपने–अपने हिस्से की भूमि बाई मीटस एण्ड बाउण्ड मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार बंटवाडा करवाना चाहते है अतः वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खेत खसरा संख्या 273/1 रकबा 3.8832 हैक्टेयर मौजा पायला खुर्द पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:09:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

जा बाड़मेर हाल बालोतरा की भूमि में वादीनी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 11 का 1/6 हिस्सा हिस्सेनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा प्रस्ताव मंगवानें के हकदार है। शेष प्रतिवादी सं. 1 से 10 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। इससे अदालत को यह प्रतीत होता है,कि वादीनी के वाद को स्वीकार किये जाने की अन्य प्रतिवादी की ओर से मौन स्वीकृति है,यदि उक्त अन्य प्रतिवादीगण को वादीगण के वाद के संबध में उजर एतराज होता तो,न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन अन्य प्रतिवादीगण की ओर से ऐसा नहीं किया गया। ऐसी सूरत में वादीनी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7.लिहाजा वादीनी का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर खेत खसरा संख्या 273/1 रकबा 3.8832 हैक्टेयर मौजा पायला खुर्द पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी जिला बालोतरा भूमि में वादीनी का 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 11 का 1/6 हिस्सा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस (**By mets and bounds**) विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार सिणधरी को 500/शुल्क पर कमीश्नर मुकर्रर किया जाता है,कमीश्नर शुल्क वादीनी मौके पर अदा करेगी। शेष खातेदारान का हिस्सा बदूस्तर रहेगा। विभाजन प्रस्ताव दोनो पक्षो को पूर्व में जरिये पत्र या नोटिस के सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल नियम 18 से 21) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें।। तदनुसार प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हों।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

प्राथमिक निर्णय आज दिनांक 17.09.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:09:29 IST
Reason: SelfAttested